

## प्रेस नोट थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 07.04.2024

**01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जाने रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी बांसगांव के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष बांसगांव के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्रनाथ चौबे मय पुलिस टीम द्वारा मुखबीर खास की सूचना पर दौराने चेकिंग अभियुक्त भरत सिंह पुत्र त्रियोगी सिंह निवासी नगर पंचायत बांसगांव वार्ड नंबर 9 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को 01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 178/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता व अपराधिक इतिहास-

**भरत सिंह पुत्र त्रियोगी सिंह निवासी नगर पंचायत बांसगांव वार्ड नंबर 9 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर**

1. मु0अ0सं0178/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसगांव जनपद जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 201/2018 धारा 498ए,323,504 भादवि थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

### बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस

### गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रविन्द्रनाथ चौबे चौकी प्रभारी कस्बा थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 आनन्द कुमार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0प्रशि0 शिवम सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर
4. हे0कां0 प्रमोद कुमार सिंह थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर